Phone No. 07578-252027 Fax No. 07578-252441

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढ़ी

पत्र क्र0 01/कर/टेक्सी स्टेण्ड/195 दिनॉक :– 07/05/2018

" छावनी टैक्सी स्टेण्ड – नीलामी सूचना "

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि छावनी परिषद पचमढ़ी होटल इन्द्रप्रस्थ के सामने स्थित टेक्सी स्टेण्ड को नीलाम करना चाहता हैं, यह नीलामी एक वर्ष हेतु की जा रही हैं। प्रत्येक बोली का अंतराल रू0 5,000/– होगा।

नीलामी दिनॉक 17/05/2018 के 1600 बजे छावनी परिषद कार्यालय में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति रू0 20,000/– अमानत राशि दिनॉक 16/05/2018 के 1730 बजे तक जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी संबंधी नियम एवं शर्ते छावनी परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं, तथा छावनी परिषद की बेवसाईट www.cbpachmarhi@dgest.org पर भी देखी जा सकती हैं।

टैक्सी स्टेण्ड शुल्क निम्नानुसार रहेगा :–

1. **समस्त टेक्सी वाहन – रू0 15/– प्रति 24 घण्टे।**
(गामा,सूमो,बुलेरो,ट्रेक्स,क्वालिस,टवेरा, कार एवं इसी प्रकार के अन्य वाहन)

सत्यम मोहन, भा0र0सं0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :–

1• सूचना पटल – छावनी परिषद कार्यालय/बस स्टेण्ड/जवाहर चौक/गॉधी चौक/दीनू टी स्टाल/राजू टी स्टाल/साडा कार्यालय/तहसील कार्यालय / न्यू मार्केट/जटाशंकर मार्केट/पटेल रोड मार्केट सूचना पटल
2• सम्पादक, दैनिक [redacted] भोपाल
3• सम्पादक, पत्रिका, भोपाल
04• श्री अभ्युदय अग्रवाल, स0प्रोग्रामर, छावनी परिषद कार्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

Phone No. 07578-252027
Fax No. 07578-252441
Email:cbpachmarhi@dgcst.org

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढ़ी
CANTONMENT BOARD PACHMARHI

क्र.01/कर/टैक्सी स्टैण्ड/ दिनांकः- 07-मई 2018

टैक्सी स्टैण्ड नीलामी की शर्ते

1. टैक्सी स्टेण्ड हेतु ठेकेदार/सफलतम बोलीकर्ता द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क लेना होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई समस्त राशि को राजसात कर लिया जाएगाः-

   अ) समस्त टेक्सी वाहन – रू0 15/– प्रति 24 घण्टे।

   (गामा,सूमो,बुलेरो,ट्रेक्स,क्वालिस,टवेरा, कार एवं इसी प्रकार के अन्य वाहन)

2. नीलामी में भाग लेने के लिये रू0 20,000/– अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।

3. सफलतम बोलीकर्ता को बोली की संपूर्ण राशि एक मुश्त तीन दिवसो के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा सफलतम बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई समस्त राशि को राजसात कर लिया जायेगा एवं टैक्सी स्टेण्ड की पुनः नीलामी की जायेगी।

4. यह नीलामी केवल एक वर्ष हेतु की जा रही है, उक्त अवधि के पश्चात् पुनः नीलामी की जायेगी। अवधि की गणना टैक्सी स्टैण्ड हैंडओवर के दिन से की जाएगी।

5. टैक्सी स्टैण्ड पर शुल्क वसूली हेतु सफलतम बोलीकर्ता को अपने स्वयं के व्यय से अस्थाई टिन की गुमठी तैयार करनी होगी। सफलतम बोलीकर्ता को छावनी परिषद द्वारा निर्धारित स्थान से ही टैक्सी स्टैण्ड शुल्क की वसूली करनी होगी। टिन गुमठी में बिजली मीटर इस कार्यालय द्वारा लगाया जायेगा, किन्तु बिजली के बिल का भुगतान सफलतम बोलीकर्ता को स्वयं प्रतिमाह जमा करना होगा।

6. सफलतम बोलीकर्ता को स्वंय के व्यय से छावनी परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूल करने हेतु रसीद बुक छपवानी होगी, जिसे छावनी परिषद द्वारा सील लगाकर प्रमाणित किया जायेगा। ठेका समाप्ति पर ठेकेदार को संपूर्ण रशीद बुको को छावनी परिषद कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि को वापस नही की जायेगी।

7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण के दौरान यदि अवैध वसूली पाई जाती हैं, तो ठेकेदार का ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। तथा उसके द्वारा जमा की गई समस्त राशि को राजसात कर लिया जाएगा।

8. टैक्सी स्टैण्ड पर वसूली एवं व्यवस्था संबंधी मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी द्वारा ठेकेदार/ सफलतम बोलीकर्ता को समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9. टैक्सी स्टैण्ड पर पन्नी, पाऊँच, पॉलीथीन पूर्णतः वर्जित हैं। उक्त ठेकेदार/सफलतम बोलीकर्ता को सुनिश्चित करना होगा, कि उक्त पर्यावरण प्रतिकूल सामग्री का टैक्सी स्टैण्ड में प्रवेश न होने दिया जाए।

10. टैक्सी स्टैण्ड शुल्क केवल उन्ही वाहनों से लिया जाएगा जो टैक्सी स्टैण्ड पर पार्क होंगे। अन्य वाहनो से वसूली नही की जायेगी।

11. सभी प्रायवेट/टैक्सी वाहन जो सवारी ढोते हैं को टैक्सी स्टैण्ड पर लाने की जवाबदारी ठेकेदार /सफलतम बोलीकर्ता की होगी, कार्यालय की नही।

12. टैक्सी स्टैण्ड पर खड़े वाहनों की सुरक्षा की जवाबदारी ठेकेदार /सफलतम बोलीकर्ता की होगी।

13. टैक्सी स्टैण्ड पर लगे हुये कर्मचारी की सूची ठेकेदार/सफलतम बोलीकर्ता को छावनी परिषद में अनिवार्य रूप से देना होगा। जिनका परिचय पत्र ठेकेदार /सफलतम बोलीकर्ता को देनो अनिवार्य होगा। वसूली करते समय कर्मचारीयो के पास ठेकेदार द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र होना अनिवार्य है।

14. टैक्सी स्टैण्ड पर किसी भी प्रकार की असामाजिक तथा गैरकानूनी गतिविधियॉ नहीं होगी, नहीं तो ठेकेदार /सफलतम बोलीकर्ता का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई समस्त राशि को राजसात कर लिया जाएगा एवं टैक्सी स्टेण्ड की पुनः नीलामी की जायेगी।

15. ठेकेदार/सफलतम बोलीकर्ता को कण्डिका क्र. 01 से 14 तक दी गई सभी शर्तो का पालन करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार/सफलतम बोलीकर्ता का ठेका समाप्त कर दिया जाएगा एवं उसके द्वारा जमा की गई समस्त राशि मय अमानत राशि को राजसात कर लिया जायेगा एवं टैक्सी स्टैण्ड की पुनः नीलामी की जाएगी।

16. ठेके की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सत्यम मोहन, भा0र0सं0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढ़ी